उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-385 / ग्यारह-9(1) / 08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आ श-(77)-2012
दिनांकः 19 मई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 19 मई, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) अनुसूची-एक में, कम संख्या 41 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
41	इसेंस स्टिक जिसे सामान्यतः अगरबत्ती, धूपकाठी या धूपबत्ती के रूप में जाना जाता है; हवन सामग्री जिसमें धूप, अगरबत्ती, सम्ब्रानी या लोहबान सम्मिलित है; रूद्राक्ष, रूद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला; गुलाब जल एवं केवड़ा जल।

(ख) अनुसूची-दो में, भाग-'ग' में, क्रम संख्या 225 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
225	नेचुरल अथवा सिन्थेटिक फ्लेवरिंग एसेन्सेस, नेचुरल अथवा सिन्थेटिक एसेन्सियल आयल जिसमें इनके मिश्रण शामिल हैं, चन्दन तेल एवं अतर।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।